

10/04/26

पत्रावली वास्ते ठिगने पेसा कुं उरुन वर
उप. विभागत पुर्वार सीमाट डिमा पासत वास
पारी सीमाट डिमा पसा ह्य विस्तरा ठिगने-
शाहिल डिमा पासा ह्य डिफे पासिले वरु-
से नर ह्य

ठिगने कुगार गधन



उपखण्ड अधिकारी
सुसागढ़ (राज.)



GCMS
2019/00034

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर

जगदीश बनाम रामस्वरूप वगैरह

किस्म मुकदमा:-88,53,209 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्या:-50/2019 (GCMS No.2019/00034)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

10.04.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील वादी व वकील प्रतिवादी संख्या 1 व पैरोकार राज उपस्थित। तहसीलदार सूरतगढ़ इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.12.2024 की पालना में अपने पत्रांक 1488 दिनांक 28.04.2025 से विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या-1 ने भी विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन करने का निवेदन किया। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रश्नगत वादाधीन भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है।

1.जगदीश पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन हनुमानगढ़ की भूमि:-चक 2 के एस.पी.एम. के पत्थर नं. 30/46 के किला नं. 6/0.253, 7/0.106 (दक्षिणी पासा), 14 ता 17/1.012, 24-25/0.456 हैक्टर तथा पत्थर नं. 30/47 के किला नं. 4-5-7 की 0.759 हैक्टर एवं पत्थर नं. 30/55 के किला नं. 1-2 की 0.506 हैक्टर, 3/0.061 (दक्षिणी पासा) इस प्रकार कुल 3.153 हैक्टर।

2.रामस्वरूप पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन हनुमानगढ़ टा. की भूमि:-चक 2 के एस.पी.एम. के पत्थर नं. 30/54 के किला नं. 8 ता 13/1.518 हैक्टर, 18 ता 20 की 0.759, 21-22/0.456, 23/0.228 तथा पत्थर नं. 30/55 के किला नं. 3/0.192 हैक्टर (उत्तरी पासा) कुल 3.153 हैक्टर क.खाला।

3.देवीसिंह-कालूसिंह-शिशपाल सिंह-सूर्या-सिंगारी पुत्र/पुत्रीयां केसरा जाति राजपुत सा. भोजेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर की भूमि:-चक 2 के एस.पी.एम. के पत्थर नं 30/45 के किला नं. 14 ता 17, 24-25/1.518 हैक्टर तथा पत्थर नं. 30/46 की 4-5/0.506, 7/0.147 हैक्टर (उत्तरी पासा) तथा पत्थर नं. 30/53 के किला नं. 11, 20 ता 22/1.012 हैक्टर एवं पत्थर नं. 30/54 के किला नं. 1 ता 3/0.759 हैक्टर इस प्रकार कुल 3.942 हैक्टर क. /खाला भूमि ब.हि.बराबर।

राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार खाता विभाजन का अमलदरामद किया जाकर रकम राज अलग-2 कायम हो। रहन को नोट यदि हो तो संबंधित खातेदार के हिस्सा में यथावत् रहेगा। इसी अनुसार परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर से कम होकद बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/04/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (सि.ज.)
सूरतगढ़



50/2019
नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

(ओ021 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

-:: परचा डिक्री:-

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
(बड़जलास :-भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)

-:: अनवान :-

1.जगदीश पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

-वादी

बनाम

- 1.रामस्वरूप पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 2.देवीसिंह पुत्र केसरा जाति राजपुत साकिन भोजेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
- 3.कालूसिंह पुत्र केसरा जाति राजपुत साकिन हाल धीरासर तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर।
- 4.शिशपाल सिंह पुत्र केसरा जाति राजपुत साकिन भोजेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
- 5.सुर्या पत्नी मानसिंह पुत्री केसरा जाति राजपुत साकिन भोजेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
- 6.सिंगारी पत्नी सादुलसिंह पुत्र केसरा जाति राजपुत साकिन मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 7.शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा सूरतगढ़
- 8.शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सूरतगढ़।
- 9.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सूरतगढ़

-प्रतिवादीगण



वाद पत्र धारा-88,53,209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 50 वर्ष 2019 (GCMS No. 2019/00034) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री राजवीर भादू व वकील प्रतिवादी सं. 1 श्री राजाराम भादू व श्री धनवीर सिंह हुन्दल व पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:-


वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रश्नगत वादाधीन भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है:-

- 1.जगदीश पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन हनुमानगढ़ की भूमि:-चक 2 के.एस.पी.एम. के पत्थर नं. 30/46 के किला नं. 6/0.253, 7/0.106 (दक्षिणी पासा), 14 ता 17/1.012, 24-25/0.456 हैक्टर तथा पत्थर नं. 30/47 के किला नं. 4-5-7 की 0.759 हैक्टर एवं पत्थर नं. 30/55 के किला नं. 1-2 की 0.506 हैक्टर, 3/0.061 (दक्षिणी पासा) इस प्रकार कुल 3.153 हैक्टर।
- 2.रामस्वरूप पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन हनुमानगढ़ टा. की भूमि:-चक 2 के.एस.पी.एम. के पत्थर नं 30/54 के किला नं. 8 ता 13/1.518 हैक्टर, 18 ता 20 की 0.759, 21-22/0.456, 23/0.228 तथा पत्थर नं. 30/55 के किला नं. 3/0.192 हैक्टर (उत्तरी पासा) कुल 3.153 हैक्टर क.खाला।
- 3.देवीसिंह-कालूसिंह-शिशपाल सिंह-सुर्या-सिंगारी पुत्र/पुत्रीयां केसरा जाति राजपुत सा. भोजेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर की भूमि:-चक 2 के.एस.पी.एम. के पत्थर नं 30/45 के किला नं. 14 ता 17, 24-25/1.518 हैक्टर तथा पत्थर नं. 30/46 की 4-5/0.506, 7/0.147 हैक्टर (उत्तरी पासा) तथा पत्थर नं. 30/53 के किला नं. 11, 20 ता 22/1.012 हैक्टर एवं पत्थर नं. 30/54 के किला नं. 1 ता 3/0.759 हैक्टर इस प्रकार कुल 3.942 हैक्टर क./खाला भूमि ब.हि.बराबर।

राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार खाता विभाजन का अमलदरामद किया जाकर रकम राज अलग-2 कायम हो। रहन को नोट यदि हो तो यथावत् रहेगा।

नोज.....x.....मुबलिंग.....x.....बाबत.....x.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....x.....फस्टों की पालना.....x..... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10/04/2026 को जारी की गई।


(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़
सूरतगढ़ (राज.)